(1)

261

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म.प्र.

R-671/I/17

1. शंकरलाल तनय गन्सू कुम्हार
2. हरबाई पत्नि ननुवा चमार
3. किलकोटी तनय मथुरा चमार
4. कट्टू तनय पुन्ना कुम्हार
5. परमलाल तनय घन्सू कुम्हार
6. दमरू तनय प्यारेलाल बसोर
7. पन्नी पत्नि पन्ना बसोर
8. लल्लू तनय भुमानीदीन चमार
9. भुमानीदीन तनय नत्थू बसोर

निवासी ग्राम सद्दूपुरा (बमीठा) तह. राजनगर
जिला छतरपुर ......निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1. महेन्द्र कुमार तनय रामनाथ श्रीवास्तव
द्वारा मुख्तयार आम मोहन तनय विक्रम गिरी गोस्वामी
निवासी बस स्टैण्ड छतरपुर **(शिकायतकर्ता ...... फार्मल पक्षकार)**
2. म.प्र.शासन ......अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 337/अ–19/13–14 में पारित आदेश दिनांक 18/1/17 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्तागण को शासन द्वारा जारी परिपत्र मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश/परिपत्र क्रमांक 4–7/2ए भोपाल दिनांक 1/3/2002 में दिए निर्देशानुसार वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम बमीठा तह राजनगर का आवंटन किया गया था जिसके विरूद्ध एक शिकायतकर्ता नितिन खरे द्वारा अनुविभागीय

नितेन्द्र सिंघई
एड.
9425171223)

X 'XIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 671–एक / 17..........जिला ....छतरपुर..........

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-2-17	1– आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंघई उपस्थित तथा अनावेदक शासन पक्ष से पैनल अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष के तर्क सुने। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर म0प्र0 के प्र.क्र. 377 / अ–19 / वर्ष 13–14 में पारित आदेश दिनांक 18 / 1 / 17 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदकगण का तर्क है कि अनावेदक क्र 1 मात्र एक शिकायतकर्ता है तथा उसका प्रकरण में कोई हित नहीं है, साथ ही साथ उसके द्वारा मुख्तयार आम के द्वारा शिकायती आवेदन पत्र कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जबकि विधिक प्रावधान अनुसार शिकायती आवेदन पत्र स्वंय के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है मुख्तयार आम के द्वारा नहीं परंतु कलेक्टर छतरपुर द्वारा विधि विपरीत रूप से मुख्तयार आम द्वारा प्रस्तुत शिकायती आवेदन पत्र को निगरानी में मान्य कर अपना विधि विपरीत आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्व प्रथम अपील अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत की गयी परंतु उनके द्वारा प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण किए बिना आवेदकगण की अपील को निरस्त किया गया है जिस कारण यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3– प्रकरण सारांश में इस प्रकार है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश / परिपत्र 4–7 / 2ए दिनांक 1 / 3 / 02 में जारी किए गए निर्देशानुसार नायब तहसीलदार चन्द्रनगर तह. राजनगर द्वारा शासकीय बंजर काबिल काश्त भूमि के आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए जिसके आधार पर आवेदकगण द्वारा विधिवत् अपने अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए तथा नायब तहसीलदार द्वारा उद्घोषणा जारी कर	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आपित्तयां आमंत्रित की गयी एंव पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनके द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र अनुसारा आवेदकगण सहित अन्य हितग्रहियों को भूमि का आवंटन अपने आदेश दिनांक 11/12/2002 द्वारा किया गया जिसके विरूद्व एक व्यक्ति नितिन खरे द्वारा एक समयअवधि बाह्य अपील अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नितिन खरे को हितबद्व पक्षकार मान्य ना करते हुए दिनांक 29/7/11 को उसकी अपील अस्वीकार की गयी जिसको नितिन खरे द्वारा किसी भी वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा उक्त आदेश पारित किए जाने के उपरांत अनावेदक क्र 1 द्वारा अपने मुख्तयार आम के द्वारा एक शिकायती निगरानी आवेदन पत्र कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया यहां यह उल्लेखनीय है कि अनावेदक क्र 1 द्वारा अपना शिकातयती आवेदन पत्र केवल एक व्यक्ति परमलाल तनय घन्सू कुम्हार को किए गए आवंटन के संबंध में प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण को निगरानी में दर्ज कर समस्त हितग्रहियों को किए गए आवंटन आदेश को निरस्त किया गया जिसके विरूद्व चार पृथक अपील अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें अपर आयुक्त सागर द्वारा सम्मिलित आदेश पारित कर अपील को अस्वीकार किया गया है। 4— आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया कि नायब तहसीलदार चन्द्रनगर तह. राजनगर द्वारा ग्राम सद्दूपुरा (बमीठा) स्थित भूमि का आवंटन आवेदक क्र 1 से लगायत 7 को क्रमशः खसरा क्र 177/5, 172/1, 214, 172, 147/3, 181/1, 181/1, 177/6/1 एंव 181/2 में से रकवा क्रमशः 1.400, 1,100, 1.200, 1.274, 1.200, 1.161, 1.100, 1.243 एंव 0.546 हे. का विधिवत् आवंटन किया गया था। अनावेदक क्र 1 का प्रकरण में कोई हित निहित नहीं था जिस कारण से कलेक्टर छतरपुर को उसकी निगरानी प्रथमदृष्टया ही निरस्त की जानी चाहिए थी। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि यदि कलेक्टर अनावेदक क्र 1	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	के शिकायती आवेदन पत्र को निगरानी में पंजीबद्व कर आदेश पारित करना चाहते थे तब उन्ही विधिक प्रावधान अनुसार प्रकरण को स्वप्रेरणा निगरानी में दर्ज कर निर्धारित समय सीमा में करना चाहिए था जिस संबंध में उनके द्वारा न्यायिक दृष्टांत राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्व म.प्र. राज्य एंव सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजाचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इंडिया एस.एस.सी.44 का उल्लेख किया गया जिनमें स्पष्ट रूप से स्वप्रेरणा की कार्यवाही किए जाने की समयसीमा निर्धारित की गयी है। आवेदक का तर्क है कि अपर आयुक्त सागर के समक्ष पृथक पृथक अपील पृथक आधारों पर प्रस्तुत की गयी थी जिस कारण अपर आयुक्त सागर को अपीलों का निराकरण पृथक पृथक करना चाहिए था, परंतु अपर आयुक्त द्वारा बिना अपील प्रकरणों को समायोजित किए हुए तथा आवेदकगण के तर्कों व दस्तावेजों पर विचार किए हुए अपना विधि विपरीत आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त आधारों एंव निगरानी में वर्णित आधारों पर उनके द्वारा यह निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है। 5— अनावेदक क्र 1 केवल एक शिकायतकर्ता है जिसके द्वारा शिकायत भी स्वंय के द्वारा नहीं की गयी थी तथा वह प्रथम अपील न्यायालय में भी सूचना उपरांत उपस्थित नहीं हुआ था जिस कारण से वह एक मात्र एक औपचारिक पक्षकार है इस कारण उसको प्रकरण में तलब नहीं किया गया है। अनावेदक क्र 2 शासन पक्ष से उपस्थित पैनल अधिवक्ता द्वारा आवेदकगण के तर्कों का खण्डन कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को विधि सम्मत् बताते हुए आवेदकगण की निगरानी को इसी स्तर पर समाप्त किए जाने का अनुरोध किया गया है। 6— उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह निंविवादित तथ्य है कि प्रश्नाधीन भूमि का आवंटन नायब तहसीलदार द्वारा म.प्र.शासन राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र के आधार पर किया गया था। म.प्र.शासन द्वारा उक्त परिपत्र मात्र इस आधार पर जारी किया गया था कि	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	भूमिहीन व्यक्ति को शासकीय भूमि का आवंटन किया जाये जिसके वह अपने परिवार का सही तरीके से भरणपोषण कर सकें। कलेक्टर छतरपुर के आदेश के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अनावेदक क्र 1 द्वारा परमलाल तनय घन्सू कुम्हार के विरूद्व शिकायती निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा कलेक्टर छतरपुर द्वारा अपने आदेश में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि किस आधार पर उनके द्वारा समस्त आवंटनों का निरस्त किया गया है। तद्संबंध में अपर आयुक्त सागर द्वारा भी अपने आदेश में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत शिकायती निगरानी आवेदन पत्र आदेश दिनांक 11/12/2002 के विरूद्व वर्ष 11–12 में प्रस्तुत किया गया था परंतु कलेक्टर अथवा अपर आयुक्त द्वारा समय सीमा के बिन्दु का कोई निराकरण नहीं किया गया है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कलेक्टर छतरपुर द्वारा अपना आदेश पारित करने के पूर्व आवेदकगण को साक्ष्य सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के पूर्णतः विपरीत है। उपरोक्त विवेचना व प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण का अनुरोध स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । 7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त सागर संभाग सागर का आदेश दिनांक 18/1/2017 तथा कलेक्टर छतरपुर का आदेश दिनांक 25/6/13 निरस्त किया जाता है परिणामतः प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण के नाम आवंटनानुसार भूमिस्वामी हक में राजस्व/कम्प्यूटर अभिलेख में दर्ज किए जाने का आदेश दिया जाता है। इस निगरानी में पारित आदेश केवल आवेदकगण के हित तक ही प्रभावशील रहेगा। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	